

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-410893 /xxiv-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/ सेवा-2 /1519-20 /स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/ सेवायें-3 (3)/06 /3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1), (ख) (एक से पांच) में निहित व्यवस्था एवं मण्डल स्तरीय समिति के कार्यवृत्त के क्रम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत विद्यालयों/कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक पद (वेतनमान 21700-69100, लेवल-3) पर कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" के मानकानुसार स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्यालय/ विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय/ विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
धारा-17 (1) (ख) (एक)-गम्भीर रोग से रोगग्रस्त/अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) अथवा माता पिता अथवा विवाहित/विधवा महिला कर्मियों के सास-ससुर अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोगग्रस्तता/अक्षमता के आधार पर अनुरोध					
1	श्री रोहित सोनी, कनिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 थापला ओण, वि0ख0 प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल	निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून	माताजी की बीमारी	उपलब्ध रिक्त पद पर
2	श्री गणेश सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय नगर शिक्षा अधिकारी कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	माताजी की बीमारी	उपलब्ध रिक्त पद पर
3	श्री मुरारी लाल, कनिष्ठ सहायक	रा0बा0इ0का0 देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल	स्वयं की विकलांगता	उपलब्ध रिक्त पद पर
धारा-17 (1) (ख) (चार)-उत्तराखण्ड सरकारी की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध					
4	श्री भूपेन्द्र सिंह कठैत, कनिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 बनचौरा, वि0ख0 चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, नन्दानगर, चमोली	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी	उपलब्ध रिक्त पद पर
धारा-17 (1) (ख) (पांच)-विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध					
5	श्रीमती अलका पांथरी, कनिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 क्वांसी, वि0ख0 चकराता, देहरादून	निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
6	श्रीमती शोभा शाह, कनिष्ठ सहायक	अ0उ0रा0इ0का0 हल्दुखाल, वि0ख0 नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल	अ0उ0रा0इ0का0 खिररीखाल, वि0ख0 नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
7	श्रीमती रजनी दुबे, कनिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 कैलाश बांगर, वि0ख0 जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 देवलधार, वि0ख0 नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
8	श्रीमती सरोजनी, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चकराता, देहरादून	निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
9	श्रीमती प्रियंका, कनिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 खेड़ाखाल, वि0ख0 अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
10	श्रीमती नीलम, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, नारसन, हरिद्वार	रा0इ0का0 फकोट, वि0ख0 नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
11	श्री रोहित सकलानी, कनिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 गालुडधार, वि0ख0 प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 कालसी, देहरादून	विधुर कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

(1) समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित कार्यालय/विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(5) माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं संस्थाध्यक्ष के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र संस्थाध्यक्ष के (संस्थाध्यक्ष प्राप्त शपथ पत्र को मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(6) स्वयं की गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3(छ) के अन्तर्गत स्वयं की गम्भीर बीमारी अथवा विकलांगता का उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

(प्रमोद कुमार) 27/12/2016
अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पृ0सं0/ सेवा0अराज0/ 3571-91 /3 ख (4)/स्था0/2026-27 दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. अपर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
11. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
12. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0, गढ़वाल मण्डल।
13. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल।
14. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
15. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल। (द्वारा सम्बन्धित जि0शि0अधि0, मा0शि0)
16. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल। (द्वारा सम्बन्धित जि0शि0अधि0, प्रा0शि0)
17. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल (adbasic 2013@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
19. सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
20. कार्यालय आदेश पत्रावली।
21. सम्बन्धित पत्रावली।

(प्रमोद कुमार) 27/12/2016
अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।